

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या- 79/2016-17

—: आदेश :—

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
18/7/17	अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता अघरी महतो, पिता स्व0 उमेश महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-बोराडीह, थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-बोराडीह, थाना नं0-123 के खाता सं0-11 प्लॉट नं0-578 रकवा 0.11 एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 630/भू0सु0, दिनांक 03.10.2016 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है। जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2553 दिनांक 29.12.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है। जिसका खतियान महेश्वर माहात दीगर के नाम से दर्ज है। 2. विक्रेता ग्राम-बोराडीह, थाना-पिण्डाजोरा एवं क्रेता ग्राम-तरंगा, थाना-चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो के निवासी है। 3. विक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति के कुर्मी हैं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 02.50 एकड़ भूमि शेष बचता है, एवं विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 5. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को खतियान द्वारा प्राप्त है जिसपर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि की जमाबंदी पंजी II के थोका संख्या-16 में मनबोध महतो के नाम से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2015-16 तक निर्गत है। 7. बिक्री की जाने वाली भूमि किस्म गोड़ा-तीन है। 8. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा-बोराडीह, थाना नं0-123 के खाता सं0-11 प्लॉट नं0-578 रकवा 0.11 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

अंचल कार्यालय, चास द्वारा निर्गत विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0-178863 दिनांक 12.05.2016 एवं अंचल कार्यालय चन्द्रपुरा द्वारा निर्गत क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0-1655 दिनांक 20.06.2015 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता अघरी महतो, पिता स्व0 उमेश महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-बोराडीह, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो को मौजा-बोराडीह, थाना नं0-123 के खाता सं0-11 प्लॉट नं0-578 रकबा 0.11 एकड़ भूमि को क्रेता नेपाल महतो पिता मंगर महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-तरंगा (जमुनियाटाँड), थाना-चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

आलय

सं 1
10/एन0टी0 एक्ट 1908 की ध

ख

10

